

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.745/2023

Mamta Sharma

....Applicant

Versus

Gram Panchayat Arrana & Ors.

...Respondent

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply On Behalf Of Chief Development Officer, Aligarh In Compliance With The Order Dated 16.07.2024	1 - 7
2.	A true copy of the Grit/filter Chamber design is attached here as ANNEXURE 1.	8 - 18
3.	A true copy of the leach/soak pit design is attached as ANNEXURE 2.	19
4.	A true copy of the violation of environmental laws is annexed here as ANNEXURE 3	20 - 21

5.	A true copy of the joint inspection report along with the photographs are annexed here as ANNEXURE 4 and ANNEXURE 5 respectively	22 - 31
----	--	---------

THROUGH



PRIYANKA SWAMI

ADVOCATE

COUNSEL FOR CHIEF DEVELOPMENT OFFICER, ALIGARH

F- 13, GROUND FLOOR, JANGPURA EXTENSION,

DATE: 15.10.2024

NEW DELHI- 110014

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.745/2023

Mamta Sharma

....Applicant

Versus

Gram Panchayat Arrana & Ors.

...Respondent

REPLY ON BEHALF OF CHIEF DEVELOPMENT OFFICER, ALIGARH
IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 16.07.2024

1. That in compliance with the order dated 16.07.2024, a compliance report is being filed before this Hon'ble National Green Tribunal. The direction directed by this court is -

“4. It is thus evident that here is a case where environmental laws are being violated everyday by respondent 1 and no responsible officer has taken any action which includes Chief Development Officer, Block Development Officer and also the Pradhan of Gram Panchayat, Arran, Tehsil Khair, Aligarh.

5. *Mr. Dambar Singh, Gram Pradhan, Gram Panchayat, Arrana is present. On being questioned as to why prosecution should not be directed to be initiated against Pradhan Gram Panchayat; Chief Development Officer*

- and Block Development Officer for violation of environmental laws besides, he made statement through counsel that he will take appropriate steps to remediate the situation and comply with environmental laws and norms within two months.*
6. *Let him do so within two months and submit a compliance report within one week after expiry of two months from today.*
 7. *Chief Development Officer, respondent 4 and Block Development Officer, respondent 2 shall also ensure compliance of the above directions and submit compliance report within one week before the next date and shall also remain present in person before Tribunal on the next date.”*
2. That it is respectfully submitted that a joint committee was constituted by the office of the deponent on July 31, 2024, comprising the District Development Officer, District Panchayat Raj Officer, Regional Officer of the Pollution Control Board, and Executive Engineer of the Rural Engineering Department. The committee was directed to ensure the presence of the complainant during the site inspection, conduct a thorough examination of the site and records, and submit a factual report for compliance.
 3. That it is pertinent to mention here that the applicant's concerns about provisions of environmental laws. However, the Gram Panchayat confirms that all waste is being treated and disposed of accordingly. Domestic wastewater is treated through a three-chamber grit/ filter

- chamber before being discharged into a pond created with Tahseeldar approval, adhering to Swachh Bharat Mission (Gramin) guidelines. Black water undergoes separate treatment in a leach/ soak pit, and solid waste is managed through a designated RCC. These measures ensure SBM(G) guidelines.
4. That it is pertinent to mention here that it is clarified that the alleged pond was never a pond; it was a low-lying area where water from houses accumulated due to a natural slope. This after a proposal by the Land Development committee Gram Panchayat Arrana and after approval by Tahseeldar, a pond was created, with an area of 12m x 4m sq. by the fund of MGNREGA with proper grit chambers.
 5. That regarding the issue of the discharge of domestic wastewater, it is submitted that the discharge of 18 houses goes through a separate drain. Additionally, a grit chamber has been constructed for the purification and treatment of domestic water, three-chamber (Screening, holding & treatment chambers) grit chamber system enhances the removal of grit from wastewater, allowing for more efficient settling and separation of grit particles. After this, it is discharged into the pond created with the approval of the Tahseeldar. This process is in accordance with the guidelines of the Swachh Bharat Mission (Gramin). A true copy of the Grit/filter Chamber design is attached here as **ANNEXURE 1**.
 6. That it is pertinent to mention here that black water from the septic tanks is taken through separate pipes and treated separately in a leach/soak pit constructed at a safe distance. This ensures that no groundwater is

contaminated. This process is also following the guidelines of the Swachh Bharat Mission (Gramin). A true copy of the leach/soak pit design is attached as **ANNEXURE 2**.

7. That it is respectfully submitted that for the disposal of solid waste, a Resource Recovery Center (RCC) has been created for disposal, in compliance with the Swachh Bharat Mission (Gramin) rules. The average daily dry waste generated is 10 kg, and there is no wet waste as it is either consumed by animals or used in village households. There is also no legacy waste.
8. That it is respectfully submitted that the compliance report dated October 8, 2024, submitted by the Block Development Officer, Khair, confirmed that all the recommendations made by the committee had been complied with. The Block Development Officer has also confirmed that no violation of environmental laws is taking place. A true copy of the violation of environmental laws is annexed here as **ANNEXURE 3**
9. That it is pertinent to mention here that the Joint inspection report submitted by the committee dated October 8, 2024, and photographs of the site were taken. A true copy of the joint inspection report along with the photographs are annexed here as **ANNEXURE 4** and **ANNEXURE 5** respectively

10. That it is pertinent to mention here that the population of the Gram Panchayat Arrana is 5,882 as per the 2021 projected population and the population of the said hamlet is about 150.

11. Therefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take this compliance report on record and dismiss the present application.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to:

1. To take this compliance report on record & Dismiss the case.
2. Pass any other order as it may deem fit.

THROUGH



**PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE**

**COUNSEL FOR CHIEF DEVELOPMENT OFFICER, ALIGARH
F- 13, GROUND FLOOR, JANGPURA EXTENSION,**

Date: 15.10.2024

NEW DELHI- 110014

298
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No.745/2023

Mamta Sharma

....Applicant

Versus

Gram Panchayat Arrana & Ors. ...Respondent


....Respondent


AFFIDAVIT

Affidavit of **Sh. Prakhari Kumar Singh** aged about 27 years s/o **Sh. Kedar Singh** presently posted as **Chief Development Officer, Aligarh**, having an office at **Vikas Bhavan, Aligarh**.

1. That this affidavit is on behalf of the District Administration, Aligarh.
2. That the accompanying report has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying report are true and correct, the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.




मुख्य विकास अधिकारी
अलागढ़

ATTESTED

14/11/2024
GULAB RAI (Advocate)
Notary G.O.I. Aligarh No 27

570-135
14/11/2024

DEPONENT अधिकारी
अलीगढ़

VERIFICATION:-

Verified at New Delhi on this 12th day of October, 2024 that the contents of the above Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and based on the official records of the Respondent. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT अधिकारी
अलीगढ़



S. No. 175 Date..... Time. 9
Solemnly affirmed before me ..
Affidavit by Shri.....
Identified by Shri.....
who has then read the contents here
and has thought admitted the same
to be correct.
place

14/10/2024

GULAB RAI
(Notary Govt. of India)
(Notary) G O I, Aligarh
Regd No 2772

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-5/931/2022-5/ /20... लखनऊ दिनांक: 25 अगस्त, 2022
विषय:-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत सिल्ट कैचर व फिल्टर चेम्बर के
मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 20 व 21.08.2022 को झांसी मण्डल का भ्रमण SBM टीम द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें ODF प्लस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, सभी ग्राम प्रधानों एवं सचिवों से वार्ता की गई, साथ ही क्षेत्र भ्रमण भी किया गया।

भ्रमण के दौरान डकोर ग्राम पंचायत, जालौन में सिल्ट कैचर/फिल्टर चेम्बर की लगाई गई तकनीक गलत थी, इस सम्बंध में पूर्व में भेजी गई ड्राइंग के अतिरिक्त नवीन मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट तैयार किया गया है। जिसे जनपदों द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थल की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति एवं बड़े/छोटे ड्रेनेज की आवश्यकता के अनुसार संशोधित कराया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार सिल्ट कैचर एवं फिल्टर चेम्बर के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से निर्मित/मरम्मत कराने के आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,



स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ०प्र०।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं०), उ०प्र०।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ०प्र०।



(सि.स. सि.सि.)
उप निदेशक (सि.)
पंचायती राज उ० प्र०

[Handwritten signature]

Project Name and Address		No.		Revision/Issue		Date	
Panchayat Raj Gramin Jalapuri Prakoshh							
Project Name and Address		Scale		Sheet No.		Total Sheets	
Silt Chamber with 3 units		1:1		00		00	
Project No.		Date		Author		Checked	
SBM-G		23-08-2022		ASHISH K DOT 7 K			


Detail of measurement

Work Name :-Construction of Silt Chamber


S.NO	ITEM	No.	L	W	H	QTTY	UNIT
1	E/w excavation in foundation o/soil in drain i/c all the complete work						
	Tank Chamber	1	3.00	1.50	1.60	7.20	cum
					Total =	7.20	cum
2	CC in 1:6:12 cement, c/sand & 20mm s/ballast mortor i/c all the complete work						
	Tank Chamber	1	3.00	1.50	0.08	0.34	cum
					Total =	0.34	cum
3	M150 class b/w 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work Foundation						
		2	3.00	0.23	1.50	2.07	cum
		2	1.04	0.23	1.50	0.72	cum
		2	1.00	0.115	0.60	0.14	cum
		2	1.00	0.230	0.60	0.28	cum
					Total =	3.21	cum
	deduction	1	0.45	0.23	0.60	0.06	cum
		1	0.45	0.23	0.30	0.03	cum
					Total =	3.12	cum
5	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work						
		2	3.00		1.50	9.00	sqm
		2	1.04		1.50	3.12	sqm
		1	1.00		2.11	2.11	sqm
		4	1.00		0.60	2.40	sqm
					Total =	16.63	sqm
	deduction	1	0.45		0.60	0.27	sqm
		1	0.45		0.30	0.14	sqm
					Total =	16.22	sqm
6	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work						
		1	3.00	1.50	0.10	0.45	cum
					Total =	0.45	cum
7	M/S Iron Plane Work i/c all the complete work	1	0.45	0.785	1.20	0.42	qtl
8	S/o Screening Bar	1				1.00	Job
9	Provision for Photo graphy	1				1	Job



महिम कुमार
स्टेट कन्सल्टेंट (एम्बेल्ड्ड सॉल्यूशंस)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)



(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायती राज उ० प्र०



ABHISHEK DOTTA.
(only dng. prepared)

Bill of quantity

Work Name :-Construction of Silt Chamber

(Material cost)

S.No.	Name of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	S/o cement	11.00	Bag	364.80	4012.80
2	S/o C/sand	1.30	cum	2049.90	2664.87
3	S/o M150 class Brick	1435	1000	7.21	10343.48
4	S/o 40mm B/Ballast	0.30	cum	1219.00	365.70
6	S/o 20mm s/Ballast	0.40	cum	2753.90	1101.56
7	S/o M/s Iron Bar	0.42	Qtl	7434.00	3122.28
8	S/o F/sand	0.20	cum	1796.90	359.38
9	S/o Screening Bar	1.00	Job	L-S	500.00
17	Provision for photography	1	Job	300.00	300.00
				Total =	22770.07

(Labour cost)

S.No.	Name of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	E/w excavation foundation in o/soil i/c to the complete work (Boxxing).	7.20	cum	155.00	1116.00
2	CC in 1:6:12 cement, f/sand & 40mm B/ballast mortar i/c all the complete work	0.34	cum	1190.00	404.60
3	M150 class b/w 1:6 cement & c/sand mortar i/c all the complete work (Foundation)	3.12	cum	860.00	2683.20
4	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortar i/c all the complete work (drain)	16.22	cum	94.00	1524.68
5	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortar i/c all the complete work	0.45	cum	2160.00	972.00
6	M/S Iron Plane Work i/c all the complete work	0.42	qtl	1850.00	777.00
				Total =	7477.48

महिन कुमार
स्टेट कन्सलटेन्ट (एन.एल.ए.ए.ए.)
सचिव भाग

(एस.एन. सिद्ध)
उप निदेशक (पी)
पंचायती राज उ० प्र०

ABHISHEK DUTTA
(only dug prepared)


SUMMARY OF COST

Work Name :-Construction of Silt Chamber


S.No.	Item	Amount
1	Labour Cost	7477.48
2	Material Cost	22770.07
	Total =	30247.55
	Say =	0.30 Lakh




महिम कुमार
स्टेट कन्सल्टेंट (एन.एन.टी.ए.)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)



(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायती राज उ० प्र०



ABHISHEK DATTA
(only drug prepared).



(एस.एस.एस.)
 सप निदेशक (पि)
 पंचायती राज उम प्रो वर्क कन्साप्ट
 मंडिर कुवार

Project Name and Number		Revision/Issue		Date
Panchayat Raj Gramin Jalapuri Prakosith				
Project Name and Number FLYER FILTER CHAMBER				
Project No.	SBM-G	Issue	00	
Date	23-08-2022	Revision	1.1	

Detail of measurement

Work Name :-Construction of Fillter Chamber

S.NO	ITEM	No.	L	W	H	QTTY	UNIT
1	E/w excavation in foundation o/soil in drain i/c all the complete work						
	Tank Chamber	1	3.00	1.50	1.85	8.33	cum
						Total =	8.33 cum
2	CC in 1:6:12 cement, c/sand & 20mm s/ballast mortor i/c all the complete work						
	Tank Chamber	1	3.00	1.50	0.10	0.45	cum
						Total =	0.45 cum
3	CC in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work						
		1	3.00	1.50	0.05	0.23	cum
						Total =	0.23 cum
4	M150 class b/w 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work Foundation						
		2	3.00	0.23	1.70	2.35	cum
		2	1.04	0.23	1.70	0.81	cum
		1	1.04	0.23	1.40	0.33	cum
		1	1.04	0.23	1.10	0.26	cum
						Total =	3.75 cum
	deduction	1	0.45	0.23	0.60	0.06	cum
		1	0.45	0.23	0.30	0.03	cum
						Total =	3.66 cum
5	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work						
		2	2.54		1.70	8.64	sqm
		2	1.04		1.70	3.54	sqm
		1	1.04		1.40	1.46	sqm
		1	1.04		1.10	1.14	sqm
						Total =	14.78 sqm
	deduction	1	0.45		0.60	0.27	sqm
		1	0.45		0.30	0.14	sqm
						Total =	14.37 sqm
6	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work						
		1	3.00	1.50	0.10	0.45	cum
		1	1.80	1.50	0.075	0.20	cum
						Total =	0.65 cum
7	M/S Iron Plane Work i/c all the complete work	1	0.65	0.785	1.20	0.61	qtl
8	S/o Hessian cloth	1	1.80	1.040		1.87	sqm
9	S/o 50 to 70mm Brick Bats	1	1.34	1.04	0.40	0.56	cum
10	S/o 25 to 40 mm Brick Ballast	1	1.34	1.04	0.30	0.42	cum
11	S/o c/sand	1	1.34	1.04	0.30	0.42	cum
12	Provision for Photo graphy	1				1	Job

महिन
उप निदेशक (पं०)
पंजाबी राज उ० प्र०

(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंजाबी राज उ० प्र०

ABHISHEK DUTTA
(only Eng prepared)

Consumption of material

Work Name :-Construction of Filter Chamber

S.NO	ITEM	Qty	Cement	C/Sand	M150 Brick	40 mm B/B	20 mm S/B	F/Sand	Brick Bats
1	M150 class b/w 1:4 cement & c/sand mortar i/c all the complete	3.66	6.77	0.99	1683.60				
2	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortar i/c all the	14.37	1.58	0.22					
3	Cc in 1:6:12 cement, c/sand & 40mm B/ballast mortar i/c all	0.45	1.01			0.45		0.22	
4	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortar i/c all	0.65	4.33	0.29			0.59		
5	CC in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortar i/c all	0.23	1.53	0.10			0.21		
6	S/o 40mm Brick Ballast	0.42				0.42			
7	S/o C/sand	0.42		0.42					
8	S/o Brick Bats	0.61							0.61
		Total =	15.23	2.02	1683.60	0.87	0.79	0.22	0.61
		Say =	15.00	2.00	1680.00	0.90	0.80	0.20	0.60
			Bag	cum	No.	cum	cum	cum	cum



महेश कुमार
स्टेट कामन्ट्री (एन.ए.ए.)
सचिव

(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायती राज उ० प्र०

ADHISHEK DUTTA
(only dig. prepared)

Bill of quantity

(Material cost)


S.No.	Name of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	S/o cement	15.00	Bag	364.80	5472.00
2	S/o C/sand	2.00	cum	2049.90	4099.80
3	S/o M150 class Brick	1680	1000	7.21	12109.44
4	S/o 40mm B/Ballast	0.90	cum	1219.00	1097.10
5	S/o Bric Bats	0.60	cum	1166.00	699.60
6	S/o 20mm s/Ballast	0.80	cum	2753.90	2203.12
7	S/o M/s Iron Bar	0.61	Qtl	7434.00	4534.74
8	S/o F/sand	0.20	cum	1796.90	359.38
	S/o Hessian cloth	1.87	sqm	37.76	70.69
17	Provision for photography	1	Job	300.00	300.00
				Total =	30945.87

(Labour cost)


S.No.	Name of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	E/w excavation foundation in o/soil i/c to the complete work (Boxxing).	8.33	cum	155.00	1291.15
2	CC in 1:6:12 cement, f/sand & 40mm B/ballast mortor i/c all the complete work	0.45	cum	1190.00	535.50
3	M150 class b/w 1:6 cement & c/sand mortor i/c all the complete work (Foundation)	3.66	cum	860.00	3147.60
4	12mm thick Plaster in 1:4 cement & c/sand mortor i/c all the complete work (drain)	14.37	cum	94.00	1350.78
5	Rcc in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work	0.65	cum	2160.00	1404.00
6	M/S Iron Plane Work i/c all the complete work	0.61	qtl	1850.00	1128.50
8	CC in 1:2:4 cement, c/sand and 20mm S/ballast mortor i/c all the complete work	0.23	cum	1550.00	356.50
				Total =	9214.03



महिम कुमार
स्टेट कन्सल्टेंट (एस०एन०डब्ल्यू०एम०)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)



(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायती राज उ० प्र०



DUSHKEX DUTTA
(only eng prepared)

SUMMARY OF COST

Work Name :-Construction of Fillter Chamber

S.No.	Item	Amount
1	Labour Cost	9214.03
2	Material Cost	30945.87
	Total =	40159.90
	Say =	0.40 Lakh

महिम कुमार
स्टेट कन्सल्टेंट (एच.ए.ए.)
स्वच्छ भारत मिशन


(एस.एन. सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायती राज एओ प्र०

ABHISHEK DUTTA
(only deg. Prepared).


PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

MODEL DESIGN FOR GREY WATER COMMUNITY SOAK PIT (2500MM DIAMETER)

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION



PLAN FOR PUBLIC GREY WATER UNLINED-SOAK PIT



SECTION AT A-A'

Swachh Bharat Mission Grameen, Uttar Pradesh

DATE: 25/08/2021

SCALE: NOT TO SCALE (N.T.S.)

ALL DIMENSIONS ARE IN MM

DRG. NO: R010C/D-3.

PLAN AND SECTIONAL ELEVATION OF COMMUNITY UNLINED SOAK PIT

Drawn By:

IDC
INDIAN DEVELOPMENT CENTER

KEY RESOURCE CENTER
Panchayati Raj Department, Uttar Pradesh

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

प्रेषक,

संशोधित आख्या

मुख्य विकास अधिकारी
अलीगढ़।

सेवा में,

मा.कन्सलटेंट(ज्युडिशियल),
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,न्यू दिल्ली।

संख्या: 3745 /7-पं0/प्र0स्था0/ग्रा0पं0/एन.जी.टी./प्र0का0/2024-25/दिनांक: 10/10/2024
विषयः मा.नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,न्यू दिल्ली में योजित ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या-745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अरर्ना व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, न्यू दिल्ली में योजित ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या-745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अरर्ना व अन्य में दिनांक: 16.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या 2357 दिनांक 31 जुलाई,2024 द्वारा जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की समिति गठित करते हुए मौके पर शिकायत कर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए स्थलीय अभिलेखीय परीक्षण कर तथ्यात्मक आख्या अनुपालन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। गठित समिति द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष एवं संस्तुति दिनांक 24.08.2024 के सापेक्ष खण्ड विकास अधिकारी खैर द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के पत्र सं0-3515 दिनांक 30.09.2024 द्वारा आख्या मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित की गयी थी।

प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी खैर द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.10.2024 (संलग्नक-1) से कार्य की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की है। स्थिति का सत्यापन कर समिति द्वारा प्रस्तुत सयुक्त अनुपालन आख्या दिनांक 08.10.2024 के क्रम में स्थिति निम्नानुसार है:-

20

31

क्र0	संयुक्त जांच समिति द्वारा की गई संस्तुति	अनुपालन आख्या
1	गाटा संख्या-38 पर भण्डारित कूड़े को अन्यत्र आबादी से दूर नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली,2016 के प्राविधानों के अनुसार एम0आर0एफ00 के माध्यम से निस्तारण किये जाने की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव अरर्ना द्वारा नियमानुसार किया जाये।	अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत मुख्य सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश,सं0-1040 दिनांक 22.06.2021 के प्राविधानों के अनुरूप ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा प्रसंगत गाटा सं0-38 पर भण्डारित कूड़े को ग्राम पंचायत में निर्मित आर0आर0सी0 पर ले जाकर निस्तारण/प्रबन्धन का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है, इस प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली-2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
2	तालाब का उपयोग ग्राम समा के वर्षा के जल संचय के रूप में पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना कर किया जा सकता है।	उक्त सुझाव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा ग्राम समा के घरों में स्थापित शौचालय से निकलने वाले उत्सवाह के निस्तारण हेतु पृथक से क्लोज ड्रेनेज पाईप से लीच-पिट में ले जाने की व्यवस्था की गयी है तथा नहाने धोने एवं अन्य कार्य से निकलने वाले पानी को पूर्व से ओपन निर्मित नाली के माध्यम से तालाब तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में घरों से निकलने वाले घरेलू उत्सवाह एवं शौचालय से निकलने वाले उत्सवाह के निस्तारण हेतु पृथक-पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न)
3	तालाब में भण्डारित अशोधित घरेलू उत्सवाह को शुद्धिकृत कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये।	उक्त सुझाव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा ग्राम समा के घरों में स्थापित शौचालय से निकलने वाले उत्सवाह निस्तारण हेतु पृथक से ड्रेनेज पाईप की स्थापना की गयी है तथा उक्त पाईप लाईन के माध्यम से आने वाले उत्सवाह का सोधन हेतु लीच पिट स्थापित की गयी है। (फोटो ग्राफ संलग्न है)। ग्राम समा के घरों से नहाने धोने आदि द्वारा जनहित पानी को पृथक से ओपन नाली के माध्यम से फ्रिट चेम्बर में लाया जाता है। फ्रिट चेम्बर के बाद पानी को उक्त तालाब में एकत्रित किया जा रहा है। तालाब के आस-पास कोई प्राकृतिक नाला न होने के कारण तालाब में निश्चित मात्रा में पानी एकत्रित होने पर तालाब के पानी से आस-पास के किसानों को सिंचाई हेतु दिया जायेगा। जिस हेतु आस-पास के किसानों से सहमति भी ली गयी है सहमति पत्र की (छायाप्रति संलग्न है)

4	<p>ग्राम रामा अरना में जनित होने वाले ब्लेक व ग्रे वाटर के घरेलू उत्सवाह को पृथक करते हुए बायो रेमिडेशन, एसटी0पी0 अथवा लीच पिट के माध्यम से आवश्यक शुद्धिकरण करने के उपरान्त भण्डारित पानी को ग्राम अरना के किसानों से अनुबन्ध कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये, जिस हेतु पृथक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाये।</p>	<p>उक्त सुझाव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा ग्राम सभा के घरों में स्थापित शौचालय से निकलने वाले उत्सवाह निस्तारण हेतु पृथक से क्लोज ड्रेनेज पाईप की स्थापना की गयी है तथा उक्त पाईप लाईन के माध्यम से आने वाले उत्सवाह के शोधन हेतु वर्तमान में लीच पिट स्थापित कर ली गयी है (फोटोग्राफ संलग्न)।</p>
5	<p>उक्त तालाब के आस-पास आवश्यक साफ-सफाई कराया जाये तथा पर्याप्त मात्रा में छायादार वृक्षों का रोपण किया जाये।</p>	<p>उक्त सुझाव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा तालाब के आस-पास पर्याप्त साफ-सफाई करा दी गई है। भण्डारित कूड़ा/गोबर के कंड़े को हटवा दिया गया है, अस्थाई बने हुए कूड़ाघर को विद्युत घोषित करते हुए इस स्थान पर कूड़ा/गोबर आदि न डालने हेतु ग्रामवासियों को सूचना बोर्ड के माध्यम से सूचित करा दिया गया है। तालाब के किनारे जन उपयोगार्थ बैन्च स्थापित कर दी गई है। पर्यावरण अनुकूलित कैनीब्लान्ट का वृक्षारोपण करा दिया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न)</p>

अतः जनपद स्तरीय गठित समिति की अनुपालन आख्या (संलग्नक-2) के साथ संलग्न वर्तमान स्थिति की फोटो से स्पष्ट है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन में वर्तमान में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस प्रकार निराधार तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर योजित प्रश्नगत वाद/प्रकरण पोषणीय न होने के कारण खारिज योग्य है।

आख्या मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुति हेतु संलग्नकों के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:- यथोक्त।

313

मवदीय
(प्रखर कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
अलीगढ़।

संख्या: / 7-प0 / प्र0स्था0 / ग्रा0प0 / एन.जी.टी. / प्र0का0 / 2024-2025 / दिनांक:
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-



- 1- जिला मजिस्ट्रेट महादय, अलीगढ़ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- श्रीमती प्रियका स्वामी स्थायी अधिवक्ता, उ0प्र0 को इस आशय से कि कृपया प्रकरण में मा0 न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें।
- 3- समक्ष उपरोक्त तथ्यों के साथ कि स्थायी अधिवक्ता के साथ समन्वय कर मा0 खण्ड विकास अधिकारी खैर को इस निर्देश के साथ उपस्थित रहकर पक्ष न्यायालय द्वारा सुनवाई की निर्धारित दिनांक 17.10.2024 को तथ्यों एवं साक्ष्यों के साथ उपस्थित रहकर पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


मुख्य विकास अधिकारी
अलीगढ़।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अरराना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 के सम्बन्ध में।


उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अरराना व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में आप द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 13.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-


1. निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता श्रीमती ममता शर्मा एन0जी0ओ0 चलाती हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी तालाब के सम्बन्ध में शिकायत तहसील पर की गयी थी, जिस पर तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जांच किया गया है।
2. निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि गाटा संख्या-38 में बहुत छोटा तालाब है, जिसका क्षेत्रफल लगभग-3 बीघा है, लेकिन लगभग-200-300 गज क्षेत्रफल में ही पानी एकत्रित पाया गया। उक्त तालाब गांव के अन्तिम बिन्दु पर स्थित है, जिसमें कुछ घरों का पानी नाली के माध्यम से तालाब में आता है। तालाब में आने से पहले नाली में ग्रीड चैम्बर मेस बार के माध्यम से गंदगी शॉलिड वेस्ट, पत्ते, पॉलिथीन आदि को पृथक कर लिया जाता है। शिकायतकर्ता का मकान तालाब से कुछ दूरी पर है, लेकिन उनकी जमीन तालाब से सटी हुई है। तालाब से बाहर निकलने का कोई नाला/नाली नहीं है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त तालाब को शोन्द्धीकरण एवं खुदाई वर्ष 2022 में करायी गयी है। तभी से श्रीमती ममता शर्मा द्वारा शिकायत की जा रही है। बाद में उनके द्वारा एन0जी0टी0 में भी मुकदमा दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। शिकायतकर्ता द्वारा उपजिलाधिकारी, खैर से भी कई बार शिकायत की गयी है, जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी, खैर द्वारा अभी कुछ माह पूर्व स्थल की जांच की गयी थी और उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि आप द्वारा जब शिकायत/मुकदमा एन0जी0टी0 में दायर किया गया है तो बार-बार शिकायत मत करिये मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जो निर्णय पारित किया जायेगा, उसका अनुपालन किया जायेगा।
4. निरीक्षण के समय तालाब के आस-पास कोई इकाई या कॉमर्शियल कार्य नहीं हो रहा है, जिससे दूषित उत्प्रवाह तालाब में नहीं जाता हुआ पाया गया।
5. ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि उपजिलाधिकारी, खैर, अलीगढ़ को उक्त एन0जी0टी0 में यादर केस के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जानकारी है। सारे दस्तावेज उपजिलाधिकारी महोदय को उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा आवश्यकता होगी तो अभी तक तालाब की शिकायत के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज मुझसे प्राप्त किये जा सकते हैं।
6. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैं-





निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।
...


13-7-24
(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक


13/7/24
(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अरराना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अरराना व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में आप द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 02.08.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्रीमती ममता शर्मा उपस्थित थीं। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्रीमती ममता शर्मा द्वारा 24 वैदिक उपवन ट्रस्ट नाम का एन0जी0ओ0 संचालित किया जाता है। इनके द्वारा पूर्व में भी तालाब के सम्बन्ध में शिकायत तहसील पर की गयी थी, जिस पर तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जांच किया गया है।
2. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामीण श्री केशव देव द्वारा अवगत कराया गया कि गाटा संख्या-38 जो ग्राम सभा की जमीन है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग-3 बीघा है, जिसमें लगभग-300 गज क्षेत्रफल में तालाब बना हुआ है। उक्त तालाब गांव के अन्तिम बिन्दु पर स्थित है, जिसमें अलीगढ़-खैर मार्ग पर स्थित ग्राम-अरराना के कुछ घरों का पानी एवं वर्तमान वर्षा ऋतु के दौरान बारिश का पानी भी नाली के माध्यम से तालाब में आता है। तालाब में आने से पहल्वे नाली में ग्रीड चैम्बर मेस बार के माध्यम से गंदगी शॉलिड वेस्ट, पत्ते, पॉलिथीन आदि को पृथक कर लिया जाता है। शिकायतकर्ता का मकान तालाब के अन्तिम छोर से लगभग-10-12 मीटर की दूरी पर स्थित है। तालाब के अक्षांश-27.930367 एवं देशान्तर-77.884457 है।

निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामीण एवं ग्राम प्रधान से दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि तालाब का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण जून, 2022 ग्राम पंचायत की जमीन में कराया गया है। तभी से श्रीमती ममता शर्मा द्वारा शिकायत की जा रही है। बाद में उनके द्वारा एन0जी0टी0 में भी शिकायत दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। शिकायतकर्ता द्वारा उपजिलाधिकारी, खैर से भी कई बार शिकायत की गयी है, जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी, खैर द्वारा अभी कुछ माह पूर्व स्थल की जांच की गयी थी और उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि आप द्वारा जब शिकायत/मुकदमा एन0जी0टी0 में दायर किया गया है तो बार-बार शिकायत मत करिये। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जो निर्णय पारित किया जायेगा, उसका अनुपालन किया जायेगा।

3. गूगल सैटेलाइट इमेज के अनुसार शिकायतकर्ता का मकान जून, 2014 तथा दिनांक 14.02.2018 तक उक्त स्थल पर स्थापित नहीं था, बल्कि ग्रामवासियों द्वारा शिकायती स्थल पर गोबर डाला जाता था। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है-




(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 14.02.2018)



(गूगल सैटेलाइट इमेज जून, 2014)

4. गूगल सैटेलाइट इमेज के अनुसार शिकायतकर्ता का मकान दिनांक 02.04.2019 तथा दिनांक 25.03.2022 में बन गया था, परन्तु तालाब का निर्माण नहीं हुआ था। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है—




(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 02.04.2019)




(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 25.03.2022)


5. गूगल सैटेलाइट इमेज सितम्बर, 2022 एवं मई, 2024 के अनुसार तालाब एवं ग्रीट चैम्बर का निर्माण कर लिया गया। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है—



(गूगल सैटेलाइट इमेज सितम्बर, 2022)



(गूगल सैटेलाइट इमेज मई, 2024)





(गूगल सैटेलाइट स्ट्रीट इमेज सितम्बर, 2022)

6. निरीक्षण के समय तालाब के आस-पास एवं ग्राम अर्राना में कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक गतिविधि होती हुई नहीं पायी गयी, जिससे दूषित उत्प्रवाह तालाब में निस्तारित होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। उक्त तालाब में ग्राम अर्राना की स्टेट हाईवे की दक्षिण दिशा के वर्षा का जल एवं आंशिक आबादी का घरेलू सीवेज बिना समुचित शोधन के निस्तारित किया जाता है। ग्राम अर्राना की स्टेट हाईवे की दक्षिण दिशा में स्थित लगभग-80 घरों (आबादी 400) से निस्तारित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह की अनुमानित मात्रा लगभग-25 कि०ली०/दिन है। उक्त घरेलू सीवेज का उपचार बायो रेमिडेशन तकनीकी से सुगमता से किया जा सकता है।
7. उक्त गांव से प्रतिदिन जनित होने वाले घरेलू ठोस अपशिष्ट की मात्रा प्रति व्यक्ति 60 ग्राम/दिन के आधार पर लगभग-48 किग्रा०/दिन है। ग्राम प्रधान से दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुसार जिन ग्रामीण व्यक्तियों के पास अपने खेत-खलियान नहीं हैं, ऐसे लगभग-5-6 घरों

व्यक्तियों द्वारा पाले गये प्रति पशु से जनित गोबर आदि वेस्ट से लगभग-25-30 कि०ग्रा०/दिन की दर से लगभग-200 कि०ग्रा०/दिन गोबर/वेस्ट जनित होता है, जिसको कम्पोस्ट खाद बनाने जाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत की जमीन पर शिकायतकर्ता के मकान के सामने 05-06 घूरे (गोबर/वेस्ट के ढेर) पड़े हुए पाये गये। उक्त के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा सूचित किया गया कि उक्त घूरे शिकायतकर्ता के निर्मित मकान से पूर्व से बने हैं।

8. ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि उपजिलाधिकारी, खैर, अलीगढ़ को उक्त एन०जी०टी० में दायर केस के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जानकारी है। सारे दस्तावेज उपजिलाधिकारी महोदय को उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा आवश्यकता होने पर तालाब की शिकायत के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज मुझसे प्राप्त किये जा सकते हैं।
9. निरीक्षण के समय तालाब का जल नमूना एकत्रण एवं तालाब के समीप स्थित श्रीमती शकुन्तला देवी के आवास में स्थापित हैण्ड पम्प का जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ की प्रयोगशाला में जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्या अपेक्षित है।
10. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैं—



11. निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा तालाब एवं गोबर/कूड़े से गन्दगी, दुर्गन्ध आदि से समस्या होना अवगत कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया उक्त तालाब में मिट्टी डलवाकर समतल करा दिया जाये तथा मेरे आवास के सामने गोबर/कूड़े को हटवा दिया जाये, जिससे मेरी समस्या का समाधान हो सके।

संस्तुति:

उक्त तालाब का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर कराया गया है तथा गोबर/कूड़े का निस्तारण भी ग्राम समाज की जमीन पर ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है। अतः गोबर/कूड़े को अन्यत्र आबादी से दूर हटवाने, तालाब को भू-राजस्व नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार समतल कराये जाने एवं उपरोक्त वर्णित घरेलू सीवेज का उपचार बायो रेमिडेशन तकनीकी से किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव अर्थात् द्वारा नियमानुसार किया जाना है, जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव को नोटिस प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक



(डॉ० जे०पी० सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

12/8/24

व्यक्तियों द्वारा पाले गये प्रति पशु से जनित गोबर आदि वेस्ट से लगभग-25-30 कि०ग्रा०/दिन की दर से लगभग-200 कि०ग्रा०/दिन गोबर/वेस्ट जनित होता है, जिसको कम्पोस्ट खाद बनाने जाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत की जमीन पर शिकायतकर्ता के मकान के सामने 05-06 घूरे (गोबर/वेस्ट के ढेर) पड़े हुए पाये गये। उक्त के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा सूचित किया गया कि उक्त घूरे शिकायतकर्ता के निर्मित मकान से पूर्व से बने हैं।

8. ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि उपजिलाधिकारी, खैर, अलीगढ़ को उक्त एन०जी०टी० में दायर केस के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जानकारी है। सारे दस्तावेज उपजिलाधिकारी महोदय को उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा आवश्यकता होने पर तालाब की शिकायत के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज मुझसे प्राप्त किये जा सकते हैं।
9. निरीक्षण के समय तालाब का जल नमूना एकत्रण एवं तालाब के समीप स्थित श्रीमती शकुन्तला देवी के आवास में स्थापित हैण्ड पम्प का जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ की प्रयोगशाला में जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्या अपेक्षित है।
10. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैं-



11. निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा तालाब एवं गोबर/कूड़े से गन्दगी, दुर्गन्ध आदि से समस्या होना अवगत कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया उक्त तालाब में मिट्टी डलवाकर समतल करा दिया जाये तथा मेरे आवास के सामने गोबर/कूड़े को हटवा दिया जाये, जिससे मेरी समस्या का समाधान हो सके।

संस्तुति:

उक्त तालाब का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर कराया गया है तथा गोबर/कूड़े का निस्तारण भी ग्राम समाज की जमीन पर ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है। अतः गोबर/कूड़े को अन्यत्र आबादी से दूर हटवाने, तालाब को भू-राजस्व नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार समतल कराये जाने एवं उपरोक्त वर्णित घरेलू सीवेज का उपचार बायो रेमिडेशन तकनीकी से किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव अर्थात् द्वारा नियमानुसार किया जाना है, जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव को नोटिस प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक

(डॉ० जे०पी० सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


12/8/24

भा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-745/2023 भगता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अररना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।


भा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-745/2023 भगता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अररना व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ के निर्देश दिनांक 31.07.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शिकायती स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 07.08.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. शिकायतकर्ता श्रीमती भगता शर्मा द्वारा पूर्व में भी तालाब के सम्बन्ध में तहरील रतार शिकायत पर की गयी थी, जिस पर उपजिलाधिकारी, खैर, अलीगढ़ व अन्य द्वारा जांच किया गया है (संलग्नक-1)।
2. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि गाटा संख्या-38 जो खतौनी में पीली मिट्टी के नाम से दर्ज है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग-3 बीघा है। इस गाटा में आंशिक गांव की आबादी है एवं लगभग-480 वर्गमीटर (12X40) क्षेत्रफल में तालाब बना हुआ है। उक्त तालाब गांव के अन्तिम बिन्दु पर स्थित है, जिसमें अलीगढ़-खैर मार्ग पर स्थित ग्राम-अररना के कुछ घरों का पानी एवं वर्षा ऋतु के दौरान बारिश का पानी भी नाली के माध्यम से तालाब में आता है। निरीक्षण के समय तालाब में आने से पहले नाली में फिल्टर चैम्बर/मेस बार के माध्यम से सॉलिड वेस्ट, पत्ते, पॉलिथीन आदि को पृथक कर लिया जाता है। शिकायतकर्ता का मकान तालाब के अन्तिम छोर से लगभग-10-12 मीटर की दूरी पर स्थित है। तालाब के अक्षांश-27.930367 एवं देशान्तर-77.884457 है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम प्रधान श्री डम्बर सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक दिनांक 28.04.2022 में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के क्रम में तालाब का निर्माण मनरेगा के अन्तर्गत किया गया है।
4. निरीक्षण के समय तालाब के आस-पास एवं ग्राम अररना में कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक गतिविधि दृष्टिगोचर नहीं पायी गयी, जिससे प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह के तालाब में निस्तारित होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।
5. उक्त तालाब में स्टेट हाईवे संख्या-334D के दक्षिण दिशा में स्थित ग्राम अररना की आंशिक आबादी का घरेलू उत्प्रवाह बिना समुचित शोधन के एवं वर्षा का जल निस्तारित किया जाता है। ग्राम अररना की स्टेट हाईवे की दक्षिण दिशा में स्थित लगभग-18 घरों (आबादी 90) से निस्तारित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह की अनुमानित मात्रा लगभग-06 कि०ली०/दिन है। उक्त घरेलू सीवेज का उपचार बायो रेमिडेशन तकनीकी व अन्य सुलभ विधि से किया जा सकता है। उक्त तालाब में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी शोधन के किये जाने से तालाब की जल की गुणता प्रभावित होना स्वभाविक है।
6. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 02.08.2024 को किये गये निरीक्षण के समय तालाब से एकत्रित उत्प्रवाह नमूने में प्रदूषणकारी प्रचालक बी०ओ०डी० की मात्रा-52 मि०ग्रा०/ली०, टी०एस०एस० की मात्रा-342 मि०ग्रा०/ली० तथा डी०ओ० की मात्रा-3.7 मि०ग्रा०/ली० पायी गयी है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है (संलग्नक-2)।
7. ग्राम अररना से प्रतिदिन जनित होने वाले घरेलू ठोस अपशिष्ट की मात्रा प्रति व्यक्ति 60 ग्राम/दिन के आधार पर लगभग-5.4 कि०ग्रा०/दिन है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम अररना के

लगभग-5-6 घरों के व्यक्तियों द्वारा पाले गये पशुओं से जनित गोबर/अन्न वेस्ट 25-30 कि०ग्रा०/दिन/प्रतिपशु की दर से लगभग-200 कि०ग्रा०/दिन जनित होता है, जिसको ग्रामीणों द्वारा कम्पोस्ट खाद बनाये जाने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता के मकान के सामने ग्राम पंचायत की उक्त जमीन गाटा संख्या-38 पर 05-06 घूरे (गोबर/वेस्ट के ढेर) तथा उपलों के ढेर बनाये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्री डम्बर सिंह द्वारा सूचित किया गया कि उक्त घूरे शिकायतकर्ता के निर्मित मकान से पूर्व से बने हैं।





8. उपरो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 02.08.2024 को किये गये निरीक्षण के समय तालाब के समीप स्थित श्रीमती शकुन्तला देवी के आवास के पास स्थापित हैण्ड पम्प का जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ की प्रयोगशाला में जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्या संलग्न है (संलग्नक-3)।
9. गूगल सैटेलाइट इमेज के अनुसार शिकायतकर्ता का मकान दिनांक 14.02.2018 तक उक्त स्थल पर स्थापित नहीं था, बल्कि ग्रामवासियों द्वारा शिकायती स्थल पर गोबर डाला जाता था। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है-



(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 14.02.2018)

(गूगल सैटेलाइट इमेज जून, 2014)



10. गूगल सैटेलाइट इमेज के अनुसार शिकायतकर्ता का पकान दिनांक 02.04.2019 में बन गया था परन्तु तालाब का निर्माण दिनांक 25.03.2022 तक नहीं हुआ था। गूगल सैटेलाइट में लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है -



(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 02.04.2019)


(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 25.03.2022)

11. गूगल सैटेलाइट इमेज सितम्बर, 2022 एवं निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के समय तालाब एवं फिल्टर चैम्बर का निर्माण कर लिया गया। निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के समय तालाब के किनारे वृक्षारोपण पाया गया। निरीक्षण एवं गूगल सैटेलाइट के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है-



(गूगल सैटेलाइट इमेज सितम्बर, 2022)

(निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के फोटोग्राफ)



(निरीक्षण दिनांक 07.09.2024 के फोटोग्राफ)

निष्कर्ष-

- ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या-38 पर ग्रामीणों द्वारा गोबर/उपले/कूड़े का मण्डारण शिकायतकर्ता के मकान के निर्माण वर्ष 2018-19 से पूर्व से ही किया जा रहा है।
- मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2022 में ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या-38 पर लगभग-480 वर्गमीटर (12X40) क्षेत्रफल में तालाब का निर्माण किया गया है।
- निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा गाटा संख्या-38 पर निर्मित तालाब में आशोधित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण किये जाने एवं उनके घर के सामने कूड़े के निस्तारण से गन्दगी की समस्या से अवगत कराया गया।

संस्तुति

- गाटा संख्या-38 पर मण्डारित कूड़े को अन्यत्र आबादी से दूर नगरीय टोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार एम0आर0एफ0 के माध्यम से निस्तारण किये जाने की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव अर्ना द्वारा नियमानुसार किया जाये।
- तालाब का उपयोग ग्रामसमा के वर्षा जलसंचय के रूप में पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना कर किया जा सकता है।
- तालाब में मण्डारित अशोधित घरेलू उत्प्रवाह को शुद्धिकृत कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये।
- ग्रामसमा अर्ना में जनित होने वाले ब्लेक व ग्रे वाटर के घरेलू उत्प्रवाह को पृथक करते हुए बायो रीमिडेशन, एस0टी0पी0 अथवा लीच पिट के माध्यम से आवश्यक शुद्धिकरण करने के उपरान्त, मण्डारित पानी को ग्राम अर्ना के किसानों से अनुबन्ध कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये, जिस हेतु पृथक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाये।
- उक्त तालाब के आस-पास आवश्यक साफ-सफाई कराया जाये तथा पर्याप्त मात्रा में छायादार वृक्षों का रोपण किया जाये।

उपरोक्त निरीक्षण आयोग एवं संस्तुति आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण
विभाग,
अलीगढ़

(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़

(धनंजय जायसवाल)
जिला पंचायत राज
अधिकारी
अलीगढ़

जिला विकास
अधिकारी
अलीगढ़